अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश गन्ना (सप्लाई और खरीद का रेगुलेशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश गन्ना (सप्लाई और खरीद का रेगुलेशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 22 मई, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गन्ना (सप्लाई और खरीद का रेगुलेशन) एक्ट, 1953 में संशोधन करता है। एक्ट चीनी कारखानों और गुड़ बनाने वाली इकाइयों में इस्तेमाल गन्ने की सप्लाई और खरीद को रेगुलेट करता है। अध्यादेश में गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष को हटाने से जुड़ी प्रक्रिया पेश की गई है।
- 1953 के एक्ट में कारखाने के आरक्षित क्षेत्र के लिए गन्ना विकास परिषद की स्थापना का प्रावधान है (जिसे जोन कहा जाता है)। गन्ना आयुक्त किसी भी क्षेत्र को कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकता है जहां गन्ने की सप्लाई की जाएगी। गन्ना आयुक्त आरक्षित क्षेत्र या जोन को बड़ा या छोटा करने का निर्देश दे सकता है।
- परिषद के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) जोन का समूचा विकास करना, (ii) जोन में सिंचाई और कृषि संबंधी सुविधाएं विकसित करना, और (iii) उसके पास उपलब्ध धनराशि का प्रबंधन करना। परिषद के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संबंधित चीनी कारखाने के दो प्रतिनिधि, (ii) आरक्षित क्षेत्र में काम करने वाली गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के सात प्रतिनिधि, (iii) जिला गन्ना अधिकारी, और (iv) गन्ना सुरक्षा निरीक्षक। परिषद के गैर सरकारी सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है।
- **अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव**: एक्ट के अनुसार, अगर राज्य सरकार को यह विश्वास है कि परिषद ने अपने कार्यों और कर्तव्यों को निभाने में जान-बूझकर चूक की है तो वह परिषद का सुपरसेशन कर सकती है। अध्यादेश अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने का प्रावधान करता है। जिस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उसका उत्तराधिकारी उसकी जगह ले लेगा। इस उत्तराधिकारी को एक्ट के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार परिषद के गैर सरकारी सदस्यों में से चुना जाएगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अनूप रामाकृष्णनन
anoop@prsindia.org

18 अगस्त, 2020